

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 30-01-2026

विषय सूची

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 : प्रमुख विशेषताएँ

आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रथम बार 'पावर गैप इंडेक्स' का उल्लेख

डिजिटल आसक्ति (Digital Addiction) में वृद्धि तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियाँ

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 : सामाजिक क्षेत्र का विरोधाभास

आर्थिक सर्वेक्षण ने केंद्र के लिए FRBM में शिथिलता की अनुशंसा की

"भारत-अरब लीग: संस्कृतियों का सेतु, अवसरों का सृजन"

अनुशासित रणनीति के रूप में स्वदेशी

संक्षिप्त समाचार

PISA (अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम)

SC द्वारा जाति-आधारित भेदभाव पर नए UGC विनियमों पर रोक

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 : प्रमुख विशेषताएँ

संदर्भ

- हाल ही में वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्री ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया।

आर्थिक सर्वेक्षण क्या है?


- यह एक आधिकारिक वार्षिक दस्तावेज़ है जो बीते वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करता है तथा प्रमुख आर्थिक प्रवृत्तियों, चुनौतियों और नीतिगत दिशा-निर्देशों को रेखांकित करता है।
- यह आर्थिक विभाग (DEA), वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है।
- यह प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट से ठीक पूर्व संसद में प्रस्तुत किया जाता है।
- यह सामान्यतः निम्नलिखित को सम्मिलित करता है:
 - अर्थव्यवस्था का अवलोकन:** GDP वृद्धि, मुद्रास्फीति, रोजगार प्रवृत्तियाँ, राजकोषीय घाटा, बाह्य क्षेत्र (निर्यात, आयात, विदेशी मुद्रा भंडार)।

- क्षेत्रवार विश्लेषण:** कृषि, उद्योग, सेवाएँ।
- लोक वित्त:** सरकारी राजस्व एवं व्यय, कर प्रदर्शन, सब्सिडी और कल्याणकारी व्यय।
- सामाजिक क्षेत्र:** शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी एवं असमानता, मानव विकास संकेतक।
- विशेष विषय:** प्रत्येक वर्ष सर्वेक्षण एक या दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित होता है, जैसे—जलवायु परिवर्तन एवं हरित विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, समावेशी विकास, उत्पादकता और सुधार।


आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की प्रमुख विशेषताएँ

- वैश्विक परिप्रेक्ष्य एवं भारत की वृद्धि की बढ़त :**
 - वैश्विक अर्थव्यवस्था संवेदनशील बनी हुई है, जिस पर भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार विखंडन और वित्तीय असुरक्षाएँ बनी हुई हैं।
 - भारत निरंतर चौथे वर्ष सबसे तीव्रता से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
 - प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, FY26 में वास्तविक GDP वृद्धि 7.4% आँकी गई है, जबकि सकल मूल्य वर्धन (GVA) वृद्धि 7.3% रही है, जो सुदृढ़ घरेलू आधारभूत संरचना को रेखांकित करती है।

India Retains Strong Growth Momentum, Expected to Grow By 6.8 – 7.2% In FY27



Broad-Based Growth in Real Gross Value Added (%)



- मांग-आधारित वृद्धि: उपभोग और निवेश
 - उपभोग गति :
 - निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) FY26 में 7.0% बढ़ा, जो GDP का 61.5% है— 2012 के बाद का सर्वोच्च स्तर।
 - यह निम्न एवं स्थिर मुद्रास्फीति, स्थिर रोजगार स्थिति और वास्तविक आय में वृद्धि को दर्शाता है।
 - सुदृढ़ कृषि उत्पादन ने ग्रामीण उपभोग को बढ़ावा दिया, जबकि कर तर्कसंगतीकरण और आय वृद्धि ने शहरी मांग को सहारा दिया, जिससे व्यापक उपभोग पुनरुद्धार का संकेत मिलता है।
 - निवेश पुनरुद्धार :
 - सकल स्थिर पूँजी निर्माण 7.8% बढ़ा और GDP में 30% हिस्सेदारी बनाए रखी।
 - निवेश वृद्धि को सतत सार्वजनिक पूँजीगत व्यय और निजी क्षेत्र के नए निवेश ने गति दी, जो कॉर्पोरेट घोषणाओं में परिलक्षित हुआ।
- क्षेत्रीय प्रदर्शन: सेवाएँ अग्रणी, उद्योग तेज़ी से आगे
 - सेवाएँ वृद्धि का इंजन : विकास का प्रमुख प्रेरक तत्व सेवाएँ बनी हुई हैं:
 - H1 FY26 में GVA वृद्धि 9.3%।
 - पूरे वर्ष के लिए अनुमानित वृद्धि 9.1%।
 - सेवाओं का कुल GVA में हिस्सा 56.4% हो गया है, जो आधुनिक, व्यापार योग्य और डिजिटल रूप से प्रदत्त सेवाओं द्वारा संचालित है।
 - उद्योग एवं विनिर्माण उछाल:
 - वैश्विक चुनौतियों के बावजूद औद्योगिक गतिविधि सुदृढ़ हुई।
 - H1 FY26 में उद्योग GVA 7.0% बढ़ा।
 - विनिर्माण GVA Q1 में 7.72% और Q2 में 9.13% तक पहुँचा।
 - उत्पादन-लिंकेंड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं ने ₹2 लाख करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित किया, ₹18.7 लाख करोड़ अतिरिक्त उत्पादन किया और 12.6 लाख रोजगार सृजित किए।
- राजकोषीय विकास: समेकन से विश्वसनीयता
 - विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन ने स्थिरता को मजबूत किया और 2025 में तीन संप्रभु क्रेडिट रेटिंग उन्नयन प्राप्त किए।
- प्रमुख प्रवृत्तियाँ:
 - FY25 में केंद्र के राजस्व प्राप्तियाँ GDP का 9.2%।
 - गैर-कारपोरेट कर संग्रह महामारी-पूर्व 2.4% से बढ़कर 3.3%।
 - आयकर दाखिल करने वालों की संख्या FY22 के 6.9 करोड़ से FY25 में 9.2 करोड़।
 - सार्वजनिक पूँजीगत व्यय में तीव्रता से वृद्धि हुई:
 - सार्वजनिक पूँजीगत व्यय GDP का 4% तक पहुँचा।
 - राज्यों को लक्षित सहायता द्वारा प्रोत्साहित किया गया।
 - 2020 से भारत ने सामान्य सरकारी क्रण-से-GDP अनुपात में 7.1 प्रतिशत अंक की कमी की, जबकि उच्च निवेश स्तर बनाए रखा।
 - मौद्रिक प्रबंधन एवं वित्तीय मध्यस्थिता
- बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता:
 - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।
 - GNPA 2.2% और शुद्ध NPA 0.5% (सितंबर 2025)।
 - दिसंबर 2025 तक क्रण वृद्धि 14.5% वार्षिक।
- वित्तीय समावेशन :
 - प्रमुख योजनाओं ने वित्त तक पहुँच का विस्तार किया:
- PMJDY: 55.02 करोड़ खाते।
- PMMY: ₹36.18 लाख करोड़ वितरित, 55.45 करोड़ क्रण।
- स्टैंड-अप इंडिया एवं पीएम स्वनिधि ने उद्यमिता को सुदृढ़ किया।
- पूँजी बाज़ार एवं विनियमन :
 - डिमैट खाते 21.6 करोड़ पार, जिनमें लगभग चौथाई महिलाएँ।

- म्यूचुअल फंड भागीदारी महानगरों से परे विस्तारित।
- IMF-वर्ल्ड बैंक FSAP (2025) ने भारत की सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली की पुष्टि की।
- **बाह्य क्षेत्र: अस्थिर विश्व में लचीलापन**
 - वैश्विक माल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.8% और सेवाओं में 4.3%।
 - FY25 में कुल निर्यात USD 825.3 अरब का रिकॉर्ड।
 - चालू खाते का घाटा FY26 Q2 में GDP का 1.3%।
 - प्रेषण USD 135.4 अरब, विश्व में सर्वाधिक।
 - विदेशी मुद्रा भंडार USD 701.4 अरब (~11 माह आयात)।
 - भारत डिजिटल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का सबसे बड़ा गंतव्य बना।
- **मुद्रास्फीति**
 - भारत ने CPI मुद्रास्फीति का अब तक का न्यूनतम स्तर दर्ज किया—औसत 1.7% (अप्रैल-दिसंबर 2025)।
 - खाद्य एवं ईंधन कीमतों में गिरावट तथा आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन ने इसे संभव बनाया।
 - उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 2025 के दौरान भारत में मुद्रास्फीति में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई।
- **कृषि एवं खाद्य प्रबंधन**
 - खाद्यान्न उत्पादन AY 2024-25 में 357.7 मिलियन टन।
 - बागवानी उत्पादन 362.08 MT, कृषि GVA का 33%।
 - e-NAM का विस्तार 1.79 करोड़ किसानों तक।
 - MSP, PM-KISAN (₹4.09 लाख करोड़ वितरित) एवं PMKMY पेंशन द्वारा आय समर्थन।
- **उद्योग एवं विनिर्माण**
 - उद्योग GVA H1 FY26 में 7.0% बढ़ा, जबकि विनिर्माण Q2 में 9.13% तक तीव्र हुआ।
 - PLI योजनाओं ने ₹2 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया और 12.6 लाख रोजगार सृजित किए।
- **भारत की वैश्विक नवाचार सूचकांक में रैंक 2025 में सुधरकर 38वाँ हुई।**
- **सेमीकंडक्टर मिशन ने ₹1.6 लाख करोड़ मूल्य की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की।**
- **मानव पूँजी: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल**
 - **शिक्षा:** 24.69 करोड़ विद्यार्थी, 14.71 लाख विद्यालय; उच्च शिक्षा संस्थान 70,018।
 - NEP सुधारों ने लचीला अधिगम, क्रेडिट पोर्टेबिलिटी और कौशल एकीकरण सक्षम किया।
 - **स्वास्थ्य:** 1990 से MMR में 86% कमी; IMR 25 (2023); पाँच वर्ष से कम आयु मृत्यु दर में 78% कमी।
 - **रोजगार एवं कौशल:** Q2 FY26 में 56.2 करोड़ लोग कार्यरत;
 - संगठित विनिर्माण में FY24 में 10 लाख रोजगार;
 - ई-श्रम में 31 करोड़ पंजीकरण (54% महिलाएँ)।
 - सामाजिक सेवाओं पर व्यय GDP का 7.9% (FY26 BE)।
 - **ग्रामीण विकास एवं सामाजिक प्रगति**
 - संशोधित वैश्विक मानकों के अनुसार गरीबी स्तर में उल्लेखनीय कमी।
 - सामाजिक सेवाओं पर व्यय GDP का 7.9%।
 - ग्रामीण संपत्ति स्वामित्व, डिजिटल मैपिंग और महिला-नेतृत्व वाली पहलों ने आर्थिक भागीदारी को सुदृढ़ किया।
- **उभरते क्षेत्र: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शहरीकरण एवं रणनीतिक लचीलापन**
 - भारत का AI पारिस्थितिकी तंत्र व्यावहारिक, कम लागत और स्थानीय समाधानों पर आधारित है, जिससे कृषि, स्वास्थ्य एवं शासन जैसे क्षेत्रों में अपनाने की सुविधा मिली।
 - शहरी संपर्क परियोजनाएँ श्रम बाजारों को पुनः आकाश दे रही हैं और महानगरीय दबाव को कम कर रही हैं।
 - रणनीतिक रूप से, भारत संकीर्ण आयात प्रतिस्थापन से आगे बढ़कर रणनीतिक लचीलापन एवं वैश्विक अनिवार्यता की ओर

अग्रसर है, और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहराई से समाहित हो रहा है।

आगे की दिशा: रणनीतिक लचीलापन और वैश्विक अनिवार्यता

- भारत की विकास रणनीति आयात प्रतिस्थापन से आगे बढ़कर रणनीतिक लचीलापन और वैश्विक अनिवार्यता की ओर विकसित हो रही है।
- अनुशासित स्वदेशीकरण ढाँचा, कम इनपुट लागत, वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रसार, और एकीकृत शहरीकरण मॉडल भारत को इस स्थिति में ला रहे हैं कि वह ‘भारतीय वस्तुएँ खरीदना(buying Indian)’ से ‘बिना सोचे भारतीय वस्तुएँ खरीदना(buying Indian without thinking)’ की ओर अग्रसर हो सके।

Source: PIB

आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रथम बार ‘पावर गैप इंडेक्स’ का उल्लेख


समाचारों में

- प्रथम बार, संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 ने भारत के उदय में एक रणनीतिक विरोधाभास को रेखांकित करने हेतु पावर गैप इंडेक्स का उल्लेख किया है।
 - यद्यपि भारत आधिकारिक रूप से एशिया में प्रमुख शक्ति श्रेणी में प्रवेश कर चुका है, सर्वेक्षण में उल्लेख है कि भारत अपनी क्षमताओं की तुलना में अभी भी कम प्रदर्शन कर रहा है, जो -4.0 के नकारात्मक पावर गैप स्कोर में परिलक्षित होता है।

पावर गैप इंडेक्स क्या है?

- पावर गैप इंडेक्स कोई स्वतंत्र सूचकांक नहीं है, जैसे HDI।
- यह लोकी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष संकलित एशिया पावर इंडेक्स से व्युत्पन्न एक विश्लेषणात्मक माप है।
- यह किसी देश की संभावित शक्ति (संसाधन) और उसकी वास्तविक क्षेत्रीय प्रभावशीलता के बीच के अंतर को मापता है।
- प्रत्येक देश की एक अपेक्षित शक्ति (Expected Power) होती है, जो उसके मूल संसाधनों (जनसंख्या, GDP, सैन्य उपकरण) पर आधारित होती है।

- समग्र शक्ति वह है जो देश वास्तव में कूटनीति, व्यापार और गठबंधनों के माध्यम से प्राप्त करता है।
 - पावर गैप = व्यापक पावर स्कोर(Comprehensive Power Score) – अपेक्षित पावर स्कोर(Expected Power Score)**
- सकारात्मक स्कोर:** देश अपनी क्षमता से अधिक प्रभाव डालता है (कूटनीति, गठबंधन, आर्थिक रणनीति के माध्यम से संसाधनों का कुशल उपयोग)।
- नकारात्मक स्कोर:** देश अपनी क्षमता से कम प्रभाव डालता है (संसाधन मौजूद हैं, लेकिन प्रभाव का पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा)।



भारत का तुलनात्मक प्रदर्शन

- जापान (+1.0) और सिंगापुर (+5.2):** उच्च कूटनीतिक एवं आर्थिक दक्षता।
- ऑस्ट्रेलिया (+8.0):** जनसंख्या आकार की तुलना में क्षेत्र का प्रमुख “अधिक प्रदर्शन करने वाला”।
- भारत (-4.0):** 27 में से तीसरे स्थान पर, एशिया में सबसे निम्न, रूस और उत्तर कोरिया जैसे अलग-थलग राज्यों को छोड़कर।

आर्थिक सर्वेक्षण चिंतित क्यों है?

- आर्थिक संपर्कता :** भारत का GDP बड़ा है, लेकिन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में इसका एकीकरण (आर्थिक संबंध) इसकी संसाधन क्षमता से पीछे है।
- रक्षा एकीकरण :** भारत की सैन्य शक्ति बड़ी है (संसाधन), लेकिन इसकी क्षेत्रीय रक्षा साझेदारियाँ (प्रभाव) चीन या अमेरिका की तुलना में अभी परिपक्व हो रही हैं।
- स्थिरता प्रतिमान :** सर्वेक्षण में उल्लेख है कि भारत अब तक स्थिरता का ग्राही रहा है (आघातों को अवशोषित

करता है)। अंतर को कम करने के लिए भारत को स्थिरता और अवसर का प्रदाता बनना होगा, विशेषकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए।

Source: BS

डिजिटल आसक्ति (Digital Addiction) में वृद्धि तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियाँ

संदर्भ

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने डिजिटल आसक्ति और स्क्रीन-सम्बन्धित मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में तीव्र वृद्धि को एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या के रूप में चिह्नित किया है, विशेषकर बच्चों और किशोरों में।

सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरती डिजिटल आसक्ति

- सर्वेक्षण ने अत्यधिक स्क्रीन समय और सोशल मीडिया उपयोग को चिंता, अवसाद, ध्यान विकार, नींद में व्यवधान, मोटापा एवं जीवनशैली संबंधी रोगों के कारक के रूप में मान्यता दी है।
- बच्चों और किशोरों को न्यूरोलॉजिकल एवं मनोवैज्ञानिक रूप से बाध्यकारी डिजिटल उपयोग के प्रति अधिक संवेदनशील बताया गया है, जिसका कारण नशे की प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाले प्लेटफॉर्म डिजाइन हैं।
- व्यवहारिक ट्रैकिंग और लक्षित विज्ञापन बच्चों की संज्ञानात्मक कमजोरियों का शोषण करते हैं और नशे जैसी उपभोग प्रवृत्तियों को सुदृढ़ करते हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की प्रमुख सिफारिशें

- आयु-आधारित सीमाएँ :** बच्चों और किशोरों में डिजिटल आसक्ति की बढ़ती चिंताओं को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुँच पर आयु-आधारित सीमाएँ लगाने पर विचार करने का आह्वान।
- कठोर आयु सत्यापन :** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए ताकि नाबालिंग आसानी से खाते न बना सकें या वयस्कों हेतु सामग्री तक पहुँच न प्राप्त कर सकें।
- आयु-उपयुक्त डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स :** प्लेटफॉर्म को आयु-उपयुक्त डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अपनानी चाहिए, जिससे कम उम्र के उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा स्वतः सुनिश्चित हो।

- लक्षित विज्ञापन :** नाबालिंगों के लिए लक्षित विज्ञापन पर रोक लगाने और ऑटो-प्ले जैसी सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश, जो बाध्यकारी उपयोग को बढ़ा सकती हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- ऑनलाइन गेमिंग (विनियमन) अधिनियम, 2025: सद्वेबाजी वाले ऑनलाइन धन-आधारित खेलों पर प्रतिबंध और कौशल-आधारित खेलों के लिए लाइसेंसिंग ढाँचे की शुरुआत।
- टेली-MANAS: 24/7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन और ऐप, जो तकनीकी आसक्ति से निपटने में सहायता करता है।
- SHUT क्लिनिक, NIMHANS, बैंगलुरु: भारत का प्रथम विशेष केंद्र, जो तकनीकी आसक्ति जैसे अत्यधिक गेमिंग, सोशल मीडिया उपयोग और मोबाइल निर्भरता के उपचार हेतु समर्पित है।
- डिजिटल डिटॉक्स सेंटर (“Beyond Screens”), कर्नाटक: परामर्श और थेरेपी के लिए एक संसाधन केंद्र।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ

- ऑस्ट्रेलिया:** ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया न्यूनतम आयु) अधिनियम लागू किया, जिससे वह सोशल मीडिया उपयोग के लिए 16 वर्ष की वैधानिक न्यूनतम आयु निर्धारित करने वाला पहला देश बना।
- फ्रांस:** 15 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया पहुँच पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसके अंतर्गत खाता बनाने के लिए अभिभावक की अनुमति आवश्यक होगी। यह विधेयक 2026 में निचले सदन से पारित हुआ।

आगे की राह

- उपचार-केंद्रित मॉडल से सार्वजनिक और निवारक स्वास्थ्य-नेतृत्व वाले दृष्टिकोण की ओर रणनीतिक परिवर्तन पर बल दिया जाना चाहिए।
- मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के साथ एकीकरण आवश्यक है।
- समर्पित परामर्शदाताओं को प्रशिक्षित कर बड़े पैमाने पर नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों और किशोरों में सहायता प्राप्त करने के व्यवहार को सामान्य बनाया जा सके।

- नेटवर्क-स्तरीय सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जिसमें भिन्न-भिन्न डेटा योजनाएँ हों जो शैक्षणिक उपयोग को मनोरंजनात्मक उपभोग से स्पष्ट रूप से अलग करें।

Source: TH

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 : सामाजिक क्षेत्र का विरोधाभास

समाचारों में

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने भारत में एक सामाजिक क्षेत्र विरोधाभास को चिन्हित किया है: स्वास्थ्य परिणामों में उल्लेखनीय प्रगति के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता और शहरी क्षमता में ठहराव या असमान प्रगति।

सामाजिक क्षेत्र विरोधाभास क्या है?

- सामाजिक क्षेत्र विरोधाभास उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ सतही स्तर के संकेतक जैसे नामांकन दरें या जीवन प्रत्याशा बढ़ती हैं, लेकिन अंतर्निहित गुणवत्ता, अधिगम परिणाम और सेवा प्रदाय क्षमता जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक आवश्यकताओं या शहरी विस्तार की गति के अनुरूप नहीं होती।

सर्वेक्षण द्वारा रेखांकित प्रमुख प्रवृत्तियाँ

- शिक्षा: नामांकन बिना अधिगम:** प्राथमिक स्तर पर लगभग सार्वभौमिक नामांकन, लेकिन पढ़ने और अंकगणित में दक्षता निम्न बनी हुई है।
 - अपेक्षित स्कूली शिक्षा के वर्ष अब भी कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से कम हैं।
 - कक्षा VIII के बाद तीव्र ड्रॉपआउट; माध्यमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन लगभग 52.2%।
 - कौशल असंगति का जोखिम, क्योंकि विद्यार्थी रोजगार योग्य दक्षताओं को प्राप्त करने से पहले ही शिक्षा छोड़ देते हैं।
 - किशोरावस्था में ड्रॉपआउट जनसांख्यिकीय लाभांश को कमजोर करता है।
- स्वास्थ्य प्रगति लेकिन उभरते जोखिम :** स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर प्रगति, मातृ मृत्यु दर और पाँच वर्ष से कम आयु मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष से अधिक, और आयुष्मान भारत जैसी डिजिटल स्वास्थ्य एवं बीमा योजनाओं के माध्यम से कवरेज का विस्तार।

- तथापि, उभरते जोखिमों में गैर-संचारी रोगों, मोटापा और जीवनशैली संबंधी विकारों की वृद्धि सम्मिलित है।
- शहरीकरण:** आर्थिक इंजन, कमजोर नींवः शहर GDP का बड़ा हिस्सा उत्पन्न करते हैं, लेकिन उन्हें कम नगरपालिका राजस्व, आवास, परिवहन, स्वच्छता में क्षमता की कमी और कमजोर जलवायु लचीलापन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- अपर्याप्त वित्तपोषित शहर विकास के उत्प्रेरक बनने के बजाय विकास में अवरोधक बन सकते हैं।

Source: IE

आर्थिक सर्वेक्षण ने केंद्र के लिए FRBM में शिथिलता की अनुशंसा की

संदर्भ

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने केंद्र के लिए कठोर राजकोषीय लक्ष्यों में विलंब के पक्ष में तर्क दिया है, जैसे कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act) के अंतर्गत निर्धारित किए गए थे।

राजकोषीय लक्ष्यों पर सर्वेक्षण की प्रमुख विशेषताएँ

- महामारी वर्ष 2020-21 में GDP के 9.2% तक बढ़ने के बाद, केंद्र का राजकोषीय घाटा वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक 4.4% पर रहने का अनुमान है, जो FY21 के राजकोषीय घाटे को पाँच वर्षों में आधा करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
- भारत ने 2020 से सामान्य सरकारी क्रूण-से-GDP अनुपात को लगभग 7.1 प्रतिशत अंक तक कम किया है, जबकि सार्वजनिक निवेश का उच्च स्तर बनाए रखा है।
- FRBM अधिनियम का 3% GDP का राजकोषीय घाटा लक्ष्य (मार्च 2021 तक) सरकार द्वारा बार-बार स्थगित किया गया है, और सर्वेक्षण ने स्वीकार किया है कि यह लक्ष्य और ढाँचा पुनः लागू किया जाना चाहिए, ऐसी “धारणा” विद्यमान है।
 - 2003 में FRBM अधिनियम लागू होने के पश्चात 3% का लक्ष्य केवल एक बार ही प्राप्त किया गया है।
- अपने अंतिम बजट में वित्त मंत्री ने एक नया राजकोषीय ढाँचा निर्दिष्ट किया था, जिसके अंतर्गत केंद्र मार्च 31,

2031 तक ऋण-से-GDP अनुपात को 50% तक लाने का लक्ष्य रखेगा, जिसमें ±1% की छूट होगी।

- सर्वेक्षण ने तर्क दिया है कि यह वर्तमान समय के लिए उपयुक्त रणनीति है और इस अवधि के बाद इसे पुनः देखा जा सकता है।
- एक बार यह लक्ष्य प्राप्त हो जाने और राजकोषीय घाटा धीरे-धीरे घटने पर, नया FRBM लक्ष्य विचाराधीन हो सकता है।
- **राज्य वित्त की अवनति:** केंद्र की राजकोषीय विवेकशीलता की प्रशंसा करते हुए भी सर्वेक्षण ने राज्य सरकारों को अवनति वित्तीय स्थिति के प्रति सावधान किया है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003

- यह अधिनियम केंद्र सरकार के घाटे को मध्यम अवधि में एक स्थायी स्तर तक कम करने हेतु विधायी ढाँचा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।
- अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम 2004 से लागू हुए।
- यह केंद्र सरकार को 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटा GDP के 3% तक सीमित करने का आदेश देता है।
- यह आगे प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार सामान्य सरकारी ऋण को GDP के 60% और केंद्र सरकार के ऋण को GDP के 40% तक सीमित करने का प्रयास करेगी, 31 मार्च 2025 तक।

राजकोषीय घाटा क्या है?

- राजकोषीय घाटा को परिभाषित किया जाता है कि यह कुल बजटीय व्यय (राजस्व और पूँजी) का कुल बजटीय प्राप्तियों (राजस्व और पूँजी) पर अधिशेष है, जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान लिए गए ऋण सम्मिलित नहीं होते।
- राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण सृजन पूँजी प्राप्तियाँ)

राजकोषीय घाटे के निहितार्थ

- **मुद्रास्फीति दबाव:** लगातार उच्च राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति को प्रेरित करता है क्योंकि सरकार घाटे को वित्तपोषित करने हेतु केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा का सहारा लेती है।

- **क्राउडिंग आउट प्रभाव:** जब सरकार वित्तीय बाजारों से उपलब्ध निधियों का बड़ा हिस्सा उधार लेती है, तो यह निजी निवेश को बाहर कर देता है और व्यवसायों एवं व्यक्तियों के लिए ऋण तक पहुँच कम हो जाती है।
- **सीमित राजकोषीय स्थान:** उच्च राजकोषीय घाटा सरकार की आर्थिक आघातों या संकटों का सामना करने की क्षमता को सीमित करता है।
- **उधार लेने में कठिनाई:** जैसे-जैसे सरकार की वित्तीय स्थिति बिगड़ती है, सरकारी बॉन्ड की माँग घटती है, जिससे सरकार को ऋणदाताओं को उच्च ब्याज दर की पेशकश करनी पड़ती है।

निम्न राजकोषीय घाटे के लाभ

- **बेहतर क्रेडिट रेटिंग्स:** घाटे में निरंतर कमी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग्स को सुधारती है और वैश्विक बाजारों में उधार लागत को कम करती है।
- **ऋण सेवा में कमी:** ब्याज भुगतान पर कम व्यय से अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विकास परियोजनाओं के लिए निधि उपलब्ध होती है।
- **भुगतान संतुलन में सुधार:** विदेशी ऋण पर कम निर्भरता विनियम दर और चालू खाते को स्थिर करती है।
- **निवेशक विश्वास में वृद्धि:** राजकोषीय अनुशासन का संकेत देकर अधिक विदेशी और घरेलू निवेश आकर्षित होते हैं।

एन.के. सिंह समिति की सिफारिशें (2016)

- **ऋण-से-GDP अनुपात:** समिति ने राजकोषीय नीति के लिए ऋण को प्राथमिक लक्ष्य बनाने का सुझाव दिया। FY23 तक ऋण-से-GDP अनुपात 60% होना चाहिए, जिसमें केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% सीमा।
- **राजकोषीय घाटा-से-GDP अनुपात:** FY23 तक 2.5% का लक्ष्य।
- **राजकोषीय परिषद (Fiscal Council):** समिति ने एक स्वायत्त राजकोषीय परिषद बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य केंद्र द्वारा नियुक्त हों। परिषद की भूमिका में शामिल होंगे:
 - बहुवर्षीय राजकोषीय पूर्वानुमान तैयार करना।
 - राजकोषीय रणनीति में परिवर्तन की सिफारिश करना।

- राजकोषीय आँकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करना।
- यदि परिस्थितियाँ लक्ष्य से विचलन की अनुमति देती हैं तो सरकार को परामर्श देना।
- **विचलन (Deviations):** समिति ने सुझाव दिया कि जिन आधारों पर सरकार लक्ष्यों से विचलित हो सकती है, उन्हें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और सरकार को अन्य परिस्थितियों की अधिसूचना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

Source: TH

“भारत–अरब लीग: संस्कृतियों का सेतु, अवसरों का सृजन

संदर्भ

- भारत एक दशक लंबे अंतराल के बाद अरब राज्यों के संगठन (अरब लीग) के विदेश मंत्रियों का दूसरा मंत्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है।
- प्रथम बैठक 2016 में बहरीन में आयोजित हुई थी।

परिचय

- यह बैठक इस बात का संकेत है कि भारत और अरब देश अपने साझेदारी को निम्न चुनौतियों के प्रत्युत्तर में पुनः संतुलित करना चाहते हैं:
 - समुद्री व्यापार मार्गों में व्यवधान।
 - ऊर्जा संक्रमण का दबाव।
 - आपूर्ति शृंखला का पुनर्सैरखण।
 - पश्चिम एशिया और इंडो-पैसिफिक में उभरती सुरक्षा चुनौतियाँ।

भारत–अरब लीग सहभागिता

- अरब लीग, जिसे आधिकारिक रूप से अरब राज्यों का संगठन कहा जाता है, 1945 में काहिरा में सात सदस्य देशों के साथ स्थापित हुई थी।
 - वर्तमान में इसके 22 सदस्य देश हैं।
- भारत–अरब विदेश मंत्रियों की बैठक भारत की अरब लीग के साथ सहभागिता का सर्वोच्च संस्थागत तंत्र है।
- संवाद प्रक्रिया 2002 में भारत और अरब राज्यों के संगठन के बीच समझौता ज्ञापन के माध्यम से संस्थागत की गई थी, ताकि परामर्श का नियमित ढाँचा स्थापित हो सके।

- 2008 में सहयोग ज्ञापन के माध्यम से संबंध और सुदृढ़ हुए, जिसके परिणामस्वरूप अरब–भारत सहयोग मंच (AICF) की स्थापना हुई।
- 2013 में सहयोग ढाँचे को पुनरीक्षित किया गया ताकि इसकी संरचना को सुव्यवस्थित किया जा सके और प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके।
- भारत को अरब लीग में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, जो पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों का प्रतिनिधित्व करती है।

भारत–अरब लीग साझेदारी के प्रमुख स्तंभ

- **राजनीतिक एवं रणनीतिक समन्वय:** भारत ने विगत दो दशकों में ओमान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र और क्रतर के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते किए हैं।
- भारत संयुक्त राष्ट्र, BRICS और शांघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर अरब देशों का सक्रिय समर्थन करता है।
- भारत को सऊदी अरब की विज्ञ 2030 में प्रमुख रणनीतिक साझेदारों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- **आर्थिक सहयोग:** भारत और अरब लीग देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 240 अरब डॉलर से अधिक है, जिससे यह क्षेत्र भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक बन गया है।
 - भारत ने यूएई और ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते किए हैं ताकि आर्थिक एकीकरण को गहरा किया जा सके।
- **ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा:** अरब लीग देश भारत के लगभग 60% कच्चे तेल और लगभग 70% प्राकृतिक गैस आयात की आपूर्ति करते हैं।
- भारत ने 2024 में क्रतर के साथ दीर्घकालिक LNG समझौता किया ताकि आगामी दो दशकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की भागीदारी भारत की ऊर्जा लचीलापन को सुदृढ़ करती है।
- **जन-से-जन संबंध:** अरब क्षेत्र में भारतीय प्रवासी संख्या आठ मिलियन से अधिक है, जो द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 - शिक्षा, कौशल और श्रम गतिशीलता सहभागिता के महत्वपूर्ण क्षेत्र बने हुए हैं।

- रक्षा और सुरक्षा सहभागिता:** अरब लीग देशों ने लगातार भारत की सीमा-पार आतंकवाद के विरुद्ध स्थिति का समर्थन किया है और भारत में हुए प्रमुख आतंकी हमलों की निंदा की है।
 - ओमान के दक्षम बंदरगाह तक भारत की पहुँच क्षेत्र में उसकी नौसैनिक उपस्थिति और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाती है।
- उभरते सहयोग क्षेत्र:** डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और फिनटेक सहयोग नए स्तंभों के रूप में उभर रहे हैं।
 - कई अरब देशों में रुपे कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) की शुरुआत की गई है ताकि वित्तीय लेन-देन को सहज बनाया जा सके।

भारत-अरब लीग संबंधों में चुनौतियाँ

- प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता और उभरती दराएं अरब लीग के साथ सामूहिक बहुपक्षीय सहभागिता के दायरे को सीमित करती हैं।
- लाल सागर, अदन की खाड़ी और स्वेज नहर जैसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में व्यवधान भारत के व्यापार प्रवाह एवं ऊर्जा आयात के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं।
- अरब लीग सदस्यों के बीच राजनीतिक प्रणालियों और विदेश नीति प्राथमिकताओं में अंतर सहमति-आधारित सहयोग को चुनौतीपूर्ण बनाता है।
- ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों सहित प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय अभिनेताओं के बीच भारत का संतुलनकारी प्रयास उसकी कूटनीतिक क्षमता को सीमित करता है तथा सावधानीपूर्वक रणनीतिक संतुलन की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- भारत और अरब लीग को नियमित उच्च-स्तरीय राजनीतिक एवं क्षेत्रीय संवादों को संस्थागत करना चाहिए।
- सहयोग को नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जलवायु अनुकूलन में विस्तारित किया जाना चाहिए।
- आर्थिक कॉरिडोर, रक्षा निर्माण और डिजिटल संपर्कता का उपयोग दीर्घकालिक रणनीतिक परस्पर-निर्भरता बनाने के लिए किया जाना चाहिए।

Source: TH

अनुशासित रणनीति के रूप में स्वदेशी

संदर्भ

- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, स्वदेशी “अनिवार्य और आवश्यक” है क्योंकि वैश्विक व्यापारिक वातावरण निर्यात नियंत्रण, प्रौद्योगिकी निषेध व्यवस्थाओं और कार्बन सीमा तंत्रों से प्रभावित है।

परिचय

- सर्वेक्षण ने उल्लेख किया कि युद्धोत्तर अमेरिका, जर्मनी, जापान और पूर्वी एशिया की कंपनियों के विपरीत, भारतीय कंपनियाँ दीर्घकालिक जोखिम वहन एवं राष्ट्र-निर्माण निवेश के प्रति अपेक्षाकृत कम रुचि प्रदर्शित करती हैं।
- इसमें कहा गया कि भारतीय कंपनियाँ दीर्घकालिक जोखिम वहन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के प्रति सीमित इच्छाशक्ति दिखाती हैं तथा उत्पादकता, पैमाने या अधिगम की बजाय नियामकीय अवसरवाद एवं संरक्षित लाभांश पर अधिक निर्भर रहती हैं।
- स्वदेशी का अर्थ है बाहरी झटकों के बावजूद उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित करना और ऐसी स्थायी राष्ट्रीय क्षमताओं का निर्माण करना जो आर्थिक संप्रभुता को सुदृढ़ करें।
- पूंजीगत व्यय की कमी (Lack of Capex):** GDP में पूंजीगत व्यय (Capex) का भाग FY20-25 के बीच 2.6% से बढ़कर 4% हुआ है, तथापि अर्थशास्त्रियों का मत है कि निजी निवेश अभी भी मंद बना हुआ है।

भारत का विनिर्माण क्षेत्र

- भारत का विनिर्माण क्षेत्र वर्तमान में GDP में 17% का योगदान दे रहा है।
- भारत का लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र का GDP में हिस्सा 25% तक पहुँचाना है।
- भारत 14 पहचाने गए सूर्योदय क्षेत्रों (Sunrise Sectors) पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जैसे सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा घटक, चिकित्सा उपकरण, बैटरियाँ और श्रम-प्रधान उद्योग (चमड़ा एवं वस्त्र सहित), ताकि GDP में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाया जा सके।
- औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि FY25 में 5.9% से बढ़कर FY26 में 6.2% रहने का अनुमान है।

- FY26 की प्रथम छमाही में क्षेत्र ने 7.0% की वृद्धि दर्ज की, जो FY25 की प्रथम छमाही की 6.1% वृद्धि और कोविड-पूर्व प्रवृत्ति 5.2% से अधिक है।
- नवाचार :** भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र भी सुदृढ़ हुआ है, जिसमें वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत कीरेक 2019 में 66वें स्थान से सुधारकर 2025 में 38वें स्थान पर पहुँच गई है।
- विनिर्माण के अंदर उल्लेखनीय वृद्धि :**
 - कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पाद (34.9%)।
 - मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर (33.5%)।
 - अन्य परिवहन उपकरण (25.1%)।
- रोजगार सृजन :** सर्वेक्षण के अनुसार, सात राज्य मिलकर विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार का लगभग 60% हिस्सा रखते हैं।
 - तमिलनाडु 15% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र 13% हिस्सेदारी के साथ हैं।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र की चुनौतियाँ

- अवसंरचना अवरोध:** उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, कमजोर बंदरगाह संपर्क और विद्युत की कमी से उत्पादन कम होता है।
- निम्न अनुसंधान एवं नवाचार:** भारत GDP का 1% से कम R&D में निवेश करता है, जिससे उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण सीमित होता है।
- आयात पर निर्भरता:** सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक घटक और रक्षा उपकरणों के लिए भारी आयात निर्भरता।
- कौशल अंतराल:** कार्यबल कौशल और उद्योग आवश्यकताओं के बीच बड़ा असंगति।
- निम्न उत्पादकता:** पुरानी मशीनरी, छोटे पैमाने की विखंडित इकाइयाँ और सीमित स्वचालन के कारण उत्पादकता कम रहती है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** वियतनाम, बांग्लादेश और चीन जैसे देश सस्ती उत्पादन लागत और बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं, जिससे भारतीय उत्पाद कम प्रतिस्पर्धी बनते हैं।
- पर्यावरणीय चिंताएँ:** सतत और हरित विनिर्माण के लिए बढ़ता दबाव, उच्च अनुपालन लागत के साथ।

मेक इन इंडिया को सक्षम बनाने हेतु प्रमुख पहल



- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM):** इसे केंद्रीय बजट 2025–26 में एक दीर्घकालिक रणनीतिक रोडमैप के रूप में घोषित किया गया गया, जो नीति, क्रियान्वयन और शासन को एकीकृत दृष्टि में समाहित करता है।



भारत के विनिर्माण क्षेत्र की हाल की उपलब्धियाँ

- व्यवसाय करने में सुगमता:** विश्व बैंक की डूँझंग बिज़नेस रिपोर्ट (DBR) 2020 में भारत की रैंक 2014 में 142वें स्थान से उन्नत होकर 63वें स्थान पर पहुँची।
- टीका उत्पादन:** भारत ने कोविड-19 टीकाकरण कवरेज रिकॉर्ड समय में प्राप्त किया और कई विकासशील एवं अविकसित देशों को प्रमुख निर्यातक भी बना।
- भारत विश्व के लगभग 60% टीकों की आपूर्ति करता है,** अर्थात् वैश्विक स्तर पर प्रत्येक दूसरा टीका गर्व से भारत में निर्मित है।

- फार्मास्यूटिकल उद्योग:** भारत का औषधि उद्योग उत्पादन मात्रा में विश्व में तीसरे और उत्पादन मूल्य में 14वें स्थान पर है।
- यह उद्योग 2030 तक 130 अरब अमेरिकी डॉलर और 2047 तक 450 अरब अमेरिकी डॉलर के बाजार तक पहुँचने का अनुमान है।
- वंदे भारत ट्रेनें:** भारत की प्रथम स्वदेशी अर्ध-उच्च गति वाली ट्रेनें, 'मेक इन इंडिया' पहल की सफलता का उदाहरण हैं।
 - वर्तमान में भारतीय रेल पर 102 वंदे भारत ट्रेन सेवाएँ (51 ट्रेनें) संचालित हैं।
- आईएनएस विक्रांत:** यह भारत का प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत है।
 - 2023-24 में रक्षा उत्पादन ₹1.27 लाख करोड़ तक पहुँचा, और निर्यात 90 से अधिक देशों तक पहुँचा, जो इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति और क्षमता को दर्शाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स:** भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र ने विगत 11 वर्षों में उत्पादन में छह गुना वृद्धि और निर्यात में आठ गुना वृद्धि दर्ज की है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य संवर्धन 30% से बढ़कर 70% हुआ है, जिसका लक्ष्य FY27 तक 90% तक पहुँचना है।
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है और अब 99% घरेलू उत्पादन करता है।
- साइकिल निर्यात:** भारतीय साइकिलों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त की है, जिनका निर्यात यूके, जर्मनी और नीदरलैंड तक बढ़ा है।
- 'मेड इन बिहार' बूट्स:** अब रूसी सेना के उपकरण का भाग हैं, जो वैश्विक रक्षा बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- अमूल:** अमूल ने अमेरिका में अपने डेयरी उत्पाद लॉन्च कर भारतीय डेयरी को वैश्विक मंच पर स्थापित किया है।

निष्कर्ष

- भारत जब 2047 तक \$35 ट्रिलियन की दृष्टि की ओर अग्रसर है, तो विनिर्माण विकास का इंजन होगा।
- सुधारों, क्षेत्रीय प्रोत्साहनों और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं से समर्थित, यह क्षेत्र सुदृढ़ गति प्राप्त कर

- चुका है, जो GDP वृद्धि अनुमानों में परिलक्षित है।
- यदि यह गति बनी रहती है, तो भारत "विश्व की फैक्ट्री" से परिवर्तित होकर "विश्व का नवाचार और नेतृत्व केंद्र" बन सकता है।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

PISA (अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम)

समाचारों में

- आर्थिक सर्वेक्षण ने उल्लेख किया है कि भारतीय विद्यालय परीक्षाएँ रटने पर केंद्रित हैं, और ग्रेड 10 पर PISA जैसी मूल्यांकन प्रणाली की अनुशंसा की है ताकि अधिगम अंतरालों की पहचान की जा सके और लक्षित हस्तक्षेपों को सूचित किया जा सके।

PISA (अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम)

- PISA शिक्षा प्रणालियों का मूल्यांकन वास्तविक जीवन में ज्ञान के अनुप्रयोग की जाँच करके करता है—जो समस्या-समाधान, आलोचनात्मक चिंतन और व्यावहारिक साक्षरता पर केंद्रित है, न कि रटने पर।
- इसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में आयोजित किया जाता है।
- भारत ने केवल एक बार (PISA 2009) में भाग लिया था, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के माध्यम से।

भारत में आवश्यकता और आर्थिक सर्वेक्षण की अनुशंसाएँ

- आर्थिक सर्वेक्षण ने उल्लेख किया कि भारतीय विद्यालय परीक्षाएँ मुख्यतः रटने और प्रमाणन पर केंद्रित हैं, जिससे अधिगम अंतरालों की पहचान हेतु आवश्यक निदानात्मक साक्ष्य उत्पन्न नहीं हो पाते।
- ASER और NAS जैसी रिपोर्टें इस संरचनात्मक समस्या को उजागर करती हैं।
- ग्रेड 10 के अंत में PISA जैसी, दक्षता-आधारित मूल्यांकन प्रणाली पढ़ने, गणित और विज्ञान में ज्ञान के अनुप्रयोग को मापेगी, राज्यों, विद्यालय प्रकारों एवं

सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच तुलना सक्षम करेगी, और नीति-निर्माताओं को अधिगम परिणामों में सुधार हेतु लक्षित हस्तक्षेपों के लिए क्रियाशील अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी।

स्रोत: IE

SC द्वारा जाति-आधारित भेदभाव पर नए UGC विनियमों पर रोक

संदर्भ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियम, 2026 के संचालन पर रोक लगा दी है, यह चिंता व्यक्त करते हुए कि वे समाज को विभाजित कर सकते हैं।

UGC समानता विनियम, 2026 क्या हैं?

- ये विनियम उच्च शैक्षणिक संस्थानों के अंदर भेदभाव को संबोधित करने हेतु अधिसूचित किए गए थे।
- विनियम 3(c) ने “जाति-आधारित भेदभाव” को केवल अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव के रूप में परिभाषित किया।
- यह ढाँचा विशेष रूप से इन्हीं वर्गों के लिए संस्थागत और कानूनी उपाय प्रदान करता था।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ

- न्यायालय ने देखा कि:
 - विनियमों के दूरगामी और व्यापक परिणाम होंगे।
 - वे परिसरों के भीतर सामाजिक विभाजनों को संस्थागत बना सकते हैं।
- भेदभाव केवल जाति-आधारित नहीं होता, बल्कि भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, लिंग या पहचान से भी उत्पन्न हो सकता है।
- रैगिंग और दुरुपयोग से संबंधित चिंताएँ: यदि किसी सामान्य वर्ग के छात्र के विरुद्ध भेदभाव किया जाता है तो उसके पास कोई उपाय नहीं होगा।
- ऐसी विषमता आपराधिकरण और कानून के दुरुपयोग की ओर ले जा सकती है, जिससे युवा छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है।

स्रोत: IE

सम्पूर्णता अभियान 2.0

संदर्भ

- नीति आयोग ने सम्पूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ किया।

परिचय

- सम्पूर्णता अभियान 2.0 एक समयबद्ध, परिणामोन्मुख तीन माह का अभियान है, जिसका उद्देश्य देशभर के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी प्रखंडों में महत्वपूर्ण विकास संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करना है।
- यह अभियान सम्पूर्णता अभियान 2024 की सफलता पर आधारित है, जिसने प्रमुख मानव विकास संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित किया था।
- यह अभियान आकांक्षी जिलों और प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत 112 आकांक्षी जिलों और 513 आकांक्षी प्रखंडों को लक्षित करता है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

- इसे 2018 में देशभर के 112 जिलों को शीघ्र और प्रभावी रूप से रूपांतरित करने हेतु प्रारंभ किया गया था।
- यह पाँच विषयों पर केंद्रित है:
 - स्वास्थ्य एवं पोषण
 - शिक्षा
 - कृषि एवं जल संसाधन
 - वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास
 - अवसंरचना

आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम

- इसे 2023 में प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य देशभर के 329 जिलों के 513 प्रखंडों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करना है।
- यह पाँच विषयों पर केंद्रित है:
 - स्वास्थ्य एवं पोषण
 - शिक्षा
 - कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ
 - मूलभूत अवसंरचना
 - सामाजिक विकास

स्रोत: PIB

व्यक्तित्व अधिकार

संदर्भ

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता सलमान खान को एक चीन-आधारित AI वॉयस प्लेटफॉर्म की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें अंतरिम निषेधाज्ञा हटाने की मांग की गई थी। इसने भारत में व्यक्तित्व अधिकार, AI के दुरुपयोग और डिजिटल गोपनीयता कानून पर ध्यान केंद्रित किया है।

व्यक्तित्व अधिकार क्या हैं?

- व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की रक्षा करने का अधिकार है, जो गोपनीयता या संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है।
 - इसमें किसी व्यक्ति की अदा, हावभाव या व्यक्तित्व का कोई भी पहलू सम्मिलित हो सकता है।
- ये अधिकार विशेष रूप से प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनके नाम, तस्वीरें या यहाँ तक कि आवाज़ भी विभिन्न कंपनियों द्वारा विज्ञापनों में आसानी से दुरुपयोग किए जा सकते हैं।
- कई प्रसिद्ध व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं को ट्रैडमार्क के रूप में पंजीकृत कर उन्हें व्यावसायिक रूप से उपयोग करते हैं।
 - उदाहरण: यूसेन बोल्ट का “बोलिंग” या लाइटनिंग पोज़ एक पंजीकृत ट्रैडमार्क है।

इन अधिकारों को प्रदान करने के कारण

- विचार यह है कि केवल इन विशिष्ट विशेषताओं का स्वामी ही उनसे कोई व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

- विशिष्टता (Exclusivity) प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक लाभांश आकर्षित करने का एक बड़ा कारक है।
- भारत के कानूनों में व्यक्तित्व अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन ये गोपनीयता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं।

व्यक्तित्व अधिकारों की वैधता

- प्रसिद्ध व्यक्ति न्यायालय जा सकते हैं और निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, यदि कोई अनधिकृत तृतीय पक्ष उनके व्यक्तित्व अधिकारों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है।
 - व्यक्तित्व अधिकारों के दावे सामान्यतः वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत दायर किए जाते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध व्यक्तियों के पास अपनी पहचान पर पारंपरिक बौद्धिक संपदा अधिकार विरले ही होते हैं।
- भारत में किसी विधि में व्यक्तित्व अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इन्हें गोपनीयता के अधिकार (अनुच्छेद 21) के अंतर्गत माना जाता है।
 - के.एस. पुद्वस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों में प्रयुक्त कई अवधारणाएँ, जैसे पासिंग ऑफ और धोखा, का उपयोग यह तय करने में किया जा सकता है कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को निषेधाज्ञा के माध्यम से संरक्षण मिलना चाहिए या नहीं।

स्रोत: TH

